

प्रश्न सं. [ क. 870 ]  
कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश  
सतपुड़ा भवन भोपाल-462004

परिशिष्ट

// आ दे श //

भोपाल, दिनांक 06.04.2023

1. क्रमांक / 145 / 132(ए) / 168 / स्व.वि. / आउशि / योजना / 2023 इस कार्यालय द्वारा स्नातक स्तर के स्ववित्तीय पाठ्यक्रम संचालन के संबंध में जारी कार्यालयीन आदेश क्रमांक 78-79 / 168 / स्व.वि. / आउशि / योजना / 2022 दिनांक 04.02.2022 के द्वितीय पैराग्राफ में अंकित शैक्षणिक सत्र 2022-23 में स्नातक स्तर पर नवीन संकाय कला / वाणिज्य / विज्ञान प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है। इसके स्थान पर शैक्षणिक सत्र 2022-23 से प्रदान की जाती है, पढ़ा जाए। शेष शर्तें यथावत रहेगी।

2. इसी अनुक्रम में स्नातकोत्तर स्तर के स्ववित्तीय पाठ्यक्रम संचालन के संबंध में जारी कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 593-594 / 168 / स्व.वि. / आउशि / योजना 2022 दिनांक 14.07.2022 के द्वितीय पैराग्राफ में अंकित शैक्षणिक सत्र 2022-23 में जनभागीदारी समिति के माध्यम से स्ववित्तीय आधार पर स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की जाती है। इसके स्थान पर शैक्षणिक सत्र 2022-23 से प्रदान की जाती है, पढ़ा जाए। शेष शर्तें यथावत रहेगी।

(अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(कर्मवीर शर्मा)

आयुक्त

उच्च शिक्षा, म0प्र0

24/4/23  
66-84-2023पृ.क्रमांक / 146 / 132(ए) / 168 / आउशि / योजना  
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 06.04.2023

1. निज सचिव, मान. मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग (मंत्रालय) भोपाल।
3. समस्त कुल सचिव.....विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं धार 24(X) के अंतर्गत शीघ्र प्रतिवेदन भेजने हेतु।
4. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. समस्त प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (आई.टी.सेल.) की ओर भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर उक्त संशोधित आदेश अपलोड करने हेतु संबंधितों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

आयुक्त

उच्च शिक्षा, म0प्र0

2